



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>  
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859  
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3/56 / SEIAA/2022

Date: 26/2/22

प्रति,

श्री अदयपुर सप्लायर एंड कान्ट्रेक्टर,  
प्रोपराईटर श्री दीपेन्द्र सिंह  
निवासी अदयपुर, तहसील चुरहट,  
जिला सीधी (म.प्र.)

विषय:-प्रकरण क्र. 7797/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री अदयपुर सप्लायर एंड कान्ट्रेक्टर, प्रोपराईटर श्री दीपेन्द्र सिंह निवासी अदयपुर, तहसील चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 31920 घन प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 8/11, 8/12, ग्राम हरर्रा, तहसील महुगंज, जिला सीधी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 705 वी बैठक दिनांक 15.2.2022 को निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 680वी बैठक दिनांक 03.05.2021 में निर्णय लिया गया...

..... As per the recommendation of SEAC 463rd meeting PP has presented the case in SEIAA Meeting dtd 03.08.2021. During presentation PP has submitted a letter No 5248/ Mine/ 2020 dtd 17.11.2020 by the office of Collector (Mining) Division, Distt. Rewa regarding other sanctioned & operating mines exists within the 500 m periphery of the proposed mine, which is different from the earlier letter of Collector (Mining) Division, Distt. Rewa letter No 3397/ Mine/2020 dtd 18.09.2020.

In context of above, it is decided to send a letter to Collector, Rewa to constitute a team of Mining Officer & Revenue Officer for site inspection to assess the present clustering status of the mine site in view of the above discrepancy and appraisal of status of cluster of other sanctioned & operating mines within the 500 m periphery of the proposed mine and submit a report to MPSEIAA within 15 days. Copy to PP.

परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित विभाग से चाही गई उपरोक्त जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः प्रकरण को डिलिस्ट किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार अपका का प्रकरण Delist किया जाता है।


  
(श्रीमन् शुक्ला)  
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3/57 /SEIAA/2022

दिनांक - 26/2/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला सीधी (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - सीधी (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - सीधी (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

  
(आलोक नायक)  
राज्यीय अधिकारी